रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 1984/वैशाख 20, 1906
No. 224] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 1984/VAISAKHA 20, 1906

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1984

का. आ. 371(अ):—केन्द्रीय सरकार, कोचीन स्टाक एक्सचेंज, लिमिटेड कोचीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''एक्सचेंज'' कहा गया है) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 7 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा ''3'' के अन्तर्गत मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने और इस बात से सन्तुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोक हित में भी होगा, उपर्युक्त अधिनियम, की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस एक्सचेंज को उक्त धारा 4 के अधीन 10 मई, 1984 से शुरू होने वाली और 9 मई, 1989 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की और अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्त पर तथा ऐसी अन्य शर्तों के

अधीन जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है, अर्थात् :—

> एक्सचेंज जनता में शेयर जारी करके यथासंभव शीघ्र अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाकर कम से कम 100 तक कर लेने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इस कार्य में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ।

[फाइल सं. एफ. 1/10/एस.ई./84]

डी. आर. मेहता, संयुक्त सचिव (निवेश)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 1984

S.O. 371 (E) :—The Central Government having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Cochin Stock Exchange Ltd., Cochin (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange under the said section 4 for a further period of 5 years commencing on the 10th May, 1984 and ending with the 9th May, 1989 in respect of contracts in securities, subject to the following condition and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter; namely :—

> The Exchange shall take necessary steps to increase its membership to atleast 100 through issue of shares to the public as early as possible, but in no case later than a period of one year from the date of issue of this notification.

[File No. F. 1|10|SE|84]

D. R. MEHTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984